

प्रकरण संख्या 32/2-20

विनेश कुमार बनाम माऊ फं. रानीगांव

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

26/7/21

वकुलाप डप।

प्रार्थी एवं अडाथीगांव भन्ड।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पञ्जावती भाज  
पेशी में लेने काबल पेश किया। प्रार्थना पत्र का  
अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाता है पञ्जावती पेशी में ली गई। प्रार्थी ने एक  
अन्त प्रार्थना पत्र पेश करने के मध्य राखीनामा  
हो जाने के पञ्जावती विद्वां करने काबल पेश  
किया, दोनों प्रार्थना पत्र शामिल भिन्न हो  
प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी  
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा  
है। पञ्जावती जिरफ विद्वां खारीज की जाती  
है। ग्राम पंचायत को निर्णय की 14/7/21  
के माथ मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे।

पञ्जावती सुमार फैसल होकर रस-भापान  
के नम्बर के कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

~~अन्त प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया  
जाता है~~

जालिया



अति. जिला कलेक्टर

भारत

विनीश कुमार

संजोष

अति. जिला कलेक्टर  
Bhav  
Advocate